प्रपत्र सं. 14 [देखें नियम 33(2)]

वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)
मांग सूचना
चौथा तल, जीवन तारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आरसी/168/2025 29.09.2025

एचडीएफसी बैंक बनाम **सेफ एंड फ्रेश गुड्स**

प्रति,(सीडी1) सेफ एंड फ्रेश गुड्स, ए–32, सेक्टर–65, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 **(सीडी 2) एक्टेक एग्रो प्रा.लि.**, ए–32, सेक्टर–65, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 **इसके अतिरिक्त:** मकान सं. 1043/2 वार्ड सं. 8 मेहरौली, दिल्ली 110030 **(सीडी 3) श्री राकेश शर्मा**, ए–32, सेक्टर–65, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 इसके अतिरिक्त: मकान सं. 1043/2 वार्ड सं. 8 मेहरौली, दिल्ली 110030 इसके अतिरिक्त : डी–503 प्रतीक लॉरेल सेक्टर 120 नोएडा जी बी नगर, उ.प्र.–201301

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी , ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1) द्वारा **टीए/1735/2022** में पारित आदेशों के अनुसार, **रूपये 59,19,977.10/– (रूपये उनसठ लाख उन्नीस हजार नौ सौ सतहत्तर और दस पैसा मात्र)** की राशि, संग पेंडेंटेलाइट और @9.50% भविष्य का ब्याज **07/05/2018** से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मासिक वसूली तक और **रूपये 62,005/– (रूपये बासठ हजार पांच मात्र)** लागतों आपकी ओर से देय हैं (संयुक्त और व्यक्तिगत/ पूर्ण/सीमित)। 2. आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि का भुगतान सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों की भीतर करें. अन्यथा बकाया ऋण वसूली बैंक और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।3. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अगले सुनवाई की दिनांक से पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्तियों के विवरण की घोषणा करें।4. अपको यहां पर आदेशित किया जाता है कि आप 06/11/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे पर नीचे अद्धोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो ताकि आगे की कार्रवाही की जा सके। 5. उपरोक्त राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा:(अ) ऐसे ब्याज जो इस प्रमाणपत्र/ कार्यवाही की सूचना देने के तुरंत बाद प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए देय हैं। (ब) इस सूचना और वारंटों और अन्य प्रक्रिया ओं की सेवा के संबंध में खर्च सभी लागतें, शुल्क और व्यय और वह सभी अन्य प्रक्रियाएं जो देय राशि की वसूली के लिए की गई हैं। मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत इस दिनांक **29/09/2025** को दिया गया।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

प्रपत्र सं. 3 [विनियम 13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

प्रकरण सं. : ओए/178/2025 एक्स. नं.: 27980
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड विरुद्ध शनि कुमार मिश्रा

प्रति, (1) श्री शनि कुमार मिश्रा डी/डब्ल्यू/एस/ओ– शिव नारायण, शनि कुमार मिश्रा द्वारा शिव नारायण, मकान सं. 2174, कक्ष सं. 101, मानेसर गाँव, प्रीत वाटिका के समीप, गुड़गाँव, हरियाणा– 122050

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, **ओए/178/2025, दिनांक 06/10/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबकि, यह माननीय अधिकरण रु. 25,95,216.21/– के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे; (5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और **02–12–2025** को **प्रातः 10:30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा। आज **दिनांक : 08/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

डीआरटी–।।, चंडीगढ़,
न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 14 [देखें नियम 33(2)]
द्वारा पंजीकृत ए.डी.दस्ती, विफल होने पर प्रकाशन द्वारा
वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी I)
चौथा तल, जीवन तारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
मांग सूचना
ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आरसी/197/2024 05.07.2025

एचडीएफसी बैंक बनाम **लग्जरीयम लेदर प्रा.लि.**

प्रति,(सीडी1) लग्जरीयम लेदर प्रा. लि., अपने निदेशक के माध्यम से20, दूसरा तल, बाबर लैन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001 **(सीडी 2) मुकेश कुमार गाखर,** सी–2/260, प्रथम तल, सी–2 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 इसके अतिरिक्त: एचआईजी प्लैट सं. 43, नील कमल अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. 16, ब्लॉक एच, पॉकेट–3, विकासपुरी, नई दिल्ली– 110018 इसके अतिरिक्त: लग्जरीयम लेदर प्रा. लि., 20, दूसरा तल, बाबर लैन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001 **(सीडी 3) धीरज शर्मा,** ज–85बी/एसएफ, विष्णू गार्डन, नई दिल्ली–110018 इसके अतिरिक्त: लग्जरीयम लेदर प्रा. लि., 20, दूसरा तल, बाबर लैन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001 यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी , ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1) द्वारा **टीए/1013/2022** में पारित आदेशों के अनुसार, **रूपये 21,04,440.76/– (रूपये इक्कीस लाख चार हजार चार सौ चालीस और छिहत्तर पैसा मात्र)** की राशि, संग पेंडेंटेलाइट और @15.50% भविष्य का ब्याज **14/05/2018** से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मासिक वसूली तक और **रूपये 24,000/– (रूपये चौबीस हजार मात्र)** लागतों आपकी ओर से देय हैं (संयुक्त और व्यक्तिगत/ पूर्ण/सीमित)।

2. आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि का भुगतान सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों की भीतर करें. अन्यथा बकाया ऋण वसूली बैंक और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अगले सुनवाई की दिनांक से पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्तियों के विवरण की घोषणा करें।

4. अपको यहां पर आदेशित किया जाता है कि आप 21/11/2025 को पूर्वाह्न 10 :30 बजे पर नीचे अद्धोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो ताकि आगे की कार्रवाही की जा सके।

5. उपरोक्त राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा:

(अ) ऐसे ब्याज जो इस प्रमाणपत्र/ कार्यवाही की सूचना देने के तुरंत बाद प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए देय हैं।

(ब) इस सूचना और वारंटों और अन्य प्रक्रिया ओं की सेवा के संबंध में खर्च सभी लागतें, शुल्क और व्यय और वह सभी अन्य प्रक्रियाएं जो देय राशि की वसूली के लिए की गई हैं।

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत इस दिनांक **05/07/2025** को दिया गया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली डीआरटी1

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स रूरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74140MH1993PTC074596) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट(एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **कुलभूषण शर्मा प्रोपराइटर के.एल ड्रॉप्स और सुषमा शर्मा** को **10.09.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HRSMDPR00483952** की राशि **रू. 28,11,804.07 (रूपये अट्ठाईस लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ चार और सात पैसे मात्र)** और **19.08.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.10.2025** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 28,11,804.07 (रूपये अट्ठाईस लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ चार और सात पैसे मात्र) 19.08.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स रूरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एस-1, दूसरी मंज़िल, छत के अधिकार के साथ (सामने की ओर), प्लॉट नं. एमएम- 36 पर निर्मित, डी एलएफ़ अंकुर विहार, लोनी गांव, लोनी तहसील और ज़िला गाज़ियाबाद , उत्तर प्रदेश- 201013.

यूनिट क्षेत्र 930 स्क्वे. फीट. निर्मित क्षेत्र

ज़मीन की सीमाएं -

पूर्व : एमएम -37
पश्चिम : एमएम-35
उत्तर : बी -2/13
दक्षिण : 18 एम चौडी सड़क

सही/-
दिनांक : 25.10.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाज़ियाबाद **इंडियाबुल्स रूरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मोहित गुप्ता और रूही खंडेलवाल** को **16.05.2025** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLVAS00406959** की राशि **रू. 22,77,809.82 (रूपये बाईस लाख सतहत्तर हज़ार आठ सौ नौ और बयासी पैसे मात्र)** और **14.05.2025** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.10.2025** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 22,77,809.82 (रूपये बाईस लाख सतहत्तर हज़ार आठ सौ नौ और बयासी पैसे मात्र) 14.05.2025** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण तीसरी मंज़िल, आसमान तक छत/टेरेस के अधिकार के साथ, फ्रीहोल्ड बिल्ट-अप संपत्ति बियरिंग नं. 54, एरिया मापन 25.90 स्क्वे मीटर्स, कॉमन प्रवेश, पैसेज और सीढ़ियों, उपरोक्त संपत्ति के नीचे की भूमि के आनुपातिक मुक्त स्वामित्व अधिकार के साथ, पॉकेट-20 में, सेक्टर-24, रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के लेआउट प्लान में, रोहिणी, दिल्ली-110085, ।

सही/-
दिनांक : 25.10.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण **फॉर्म नं. 5**
600/1, यनिवर्सिटी रोड हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ
(न्यायिक क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा उत्तर दायर करने व प्रदर्शन के लिए सम्मन

O.A. No. 1265 of 2024 **दिनांक : 15.09.2025**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियमावली, 1993 के नियम 12 व 13 के साथ पठित बैंक व वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली की धारा 19(4) के तहत प्रतिवादी को सम्मन

एचडीएफसी बैंक लि. **बनाम** **...आवेदक**
अमित गंडोत्रा **... प्रतिवादी**

को, 1. अमित गंडोत्रा पुत्र श्री गंडोत्रा फ्लैट नं. 302, टॉवर 21, लॉटस बुलेवार्ड, सेक्टर 100 नोएडा–201301 अन्य पता : अमित गंडोत्रा सी/ओ एचटी मीडिया लिमिटेड 18–20 दूसरी मंजिल, एचटी हाउस, केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001 . **...प्रतिवादी**

उक्त वर्णित आवेदन में, आपको सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक या अपने परामर्शदाता/विधि प्राधिकृत एजेंट को उसकी प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत एजेंट या कानूनी अभ्यासकर्ता द्वारा दस्तावेजों और हलफनामे (यदि कोई है) के सहित दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में उत्तर/प्रमाण देने और इसकेबाद **06.11.2025 को सुबह 10.30 बजे** न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा, असफल होने पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

प्रपत्र सं. 3 [विनियम 13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

प्रकरण सं. : ओए/174/2025
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड विरुद्ध आसिफ सैफी

प्रति, आसिफ सैफी पुत्र एसएच. सैफी, क्यू 382, कक्ष सं. 9, साउथ सिटी, प्रथम सेक्टर 40, गुड़गाँव (हरियाणा) – 122001

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, ओए/174/2025, दिनांक 23/09/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 20,86,118.27/–** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :– (1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे; (5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और **25–11–2025** को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा। **आज दिनांक : 24/09/2025** को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

डीआरटी–।।, चंडीगढ़, न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L74899DL1991PLC062744
पंजीकृत कार्यालयः 202, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली–110019। **फोन नं.:** 0129-4282375
ईमेलः cs@spllimited.com । वेबसाइटः www.spllimited.com

नोटिस

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों के पुनर्प्रस्तुतिकरण हेतु विशेष विंडो

सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कंपनी'') के शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध के पुनर्प्रस्तुतिकरण सुविधा के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खुली है।

यह सुविधा 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए हस्तांतरण विलेख (ओं) और दस्तावेजों/ प्रक्रिया या अन्य प्रकार की कमियों के कारण खारिज/वापस किए गए/विचार नहीं किए थे, के लिए उपलब्ध है।

कंपनी के शेयरधारकों जो 31 मार्च, 2021 की पूर्व समय–सीमा से चूक गए हैं, उनको कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्लॉट 31–32, सेलेनियम, टॉवर बी, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032 को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नोटः सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ई–मेल आईडी अद्यतन करें।

कृते एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.
स्थान : फरीदाबाद **विशाल श्रीवास्तव**
दिनांकः 27.10.2025 **कंपनी सचिव**

प्रपत्र संख्या 3 [देखें विनियमन–13 (1) (अ)]
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए,चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन।
केस संख्या : ओ.ए./929/2025

एचडीएफसी बैंक आशिष कुमार प्रजापति

प्रति, (1) आशिष कुमार प्रजापति (उधारकर्ता) निवासी – प्रथम तल, एन–14/2023, डीएलएफ फैज–2, सेक्टर–25, गुड़गांव, हरियाणा–122002 , दूसरा पता आशिष कुमार प्रजापति, एक्ट्रीया इंडिया प्रा. लि. , भवन सं. 14, टॉवर–बी, डीएलएफ सायबर सिटी, सेज 17वां तल, गुड़गांव हरियाणा– 122002

सम्मन

जबकि, **10/09/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **ओ.ए./929/2025** को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि इस माननीय अधिकरण को अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने की अनुमती है, (ओए) आपके खिलाफ **रु. 23,41,201/–** (संलग्न दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन) की वसूली के लिए दायर किया गया है। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आपको, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है : (i) शमन की सेवा के तीस दिनों के भीतर कारण दिखाने के लिए कि क्यों राहत के लिए प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए: (ii) मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए, (iii) आपको मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट की गई प्रत्याभूत संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या निपटान से रोका जाता है, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित है : (iv) आप ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन बिना किसी भी संपत्ति जिसे प्रत्याभूत हित बनाया गया है कि बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेंगे, सिवाय उसके व्यवसाय के सामान्य प्रकार के अलावा और/या अन्य संपत्तियों और संपत्तियों को निर्दिष्ट या मूल आवेदन के क्रम नंबर 3 ए के तह प्रकट कियाग़या है। (v) आप प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा प्राप्त बिक्री आय या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों के लिए हिसाब के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री आय को बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ बनाए गए खाते में जमा करेंगे जो ऐसी परिसंपत्तियों प्रत्याभूत हित पर रखी हैं। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप आवेदक को दी गई एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करें और दिनांक **05/11/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** पर **रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित हों, ऐसा न करने पर आवेदन को आपकी अनुपस्थिति में सुना मानकर और निर्णय लिया जाएगा। मेरे हाथ के तहत और इस दिनांक : **11/09/2025** को इस ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ दिया गया है।

सम्मन जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

HDFC BANK
We understand your world

विशेष प्रचालन विभाग, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर गुलाब भवन, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली–110002

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **एचडीएफसी बैंक लि.** इसका पंजीकृत कार्यालय बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लॉअर परेल, मुंबई 400 013 और इसका एक कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, गुलाब भवन, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली–110002 के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर उसपर भावी ब्याज सहित **30 अप्रैल, 2023** तक देय और मौजूदा सूचना में वर्णित राशि **रु. 41,59,576.64/– (रुपए इकतालीस लाख उनसठ हजार पांच सौ अठहत्तर व चौसठ पैसे केवल)** का भुगतान करने के लिए **ऋणी मैसर्स सफिकूल ओरनामेंट्स, श्री एसके मेनूर इस्लाम की एक स्वामित्व कंपनी, इसका कार्यालय धामावाला मार्किट, देहरादून 248001, गारंटर श्री एसके मेनूर इस्लाव व श्री अब्दुल फिरोज** को बुलाने के लिए वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांक 18 मई, 2023 को जारी की थी।

ऋणी, गारंटर(ओं) और गिरवीकर्ता(ओं) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी, गारंटर(ओं) और गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर यहां नीचे वर्णित तिथि व समय पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी, गारंटर(ओं) और गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन उक्त वर्णित राशि सहित उसपर भावी ब्याज राशि के लिए **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्रभार का विषय होगा। ऋणी/गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
1.	संपत्ति नं. 26, पहली मंजिल पर दुकान, माप 168 वर्ग फुट या 15.60 वर्ग मीटर, धामवाला मार्किट, देहरादून 248001	24 अक्टूबर, 2025

दिनांक : 24.10.2025
स्थान : देहरादून **अनिरूद्ध भार्गव, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय – भूतल, इरकॉन इंटरनेशनल टावर 1, प्लॉट संख्या 16बी, सेक्टर 32, संस्थागत क्षेत्र, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, संपर्क संख्याः 98711–19223

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए पट्टे पर परिसर की आवश्यकता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नीचे उल्लिखित स्थानों पर नई शाखा खोलने/मौजूदा शाखा को स्थानांतरित करने के लिए पट्टे पर विशेष रूप से भूतल पर उपयुक्त परिसर, जिसमें उचित फ्रंटेज और पर्याप्त पार्किंग स्थान हो, की आवश्यकता है। आवश्यक परिसर इस प्रकार हैः

क्र. सं.	लोकेशन	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखा की स्थिति	वांछित कारपेट एरिया
1.	सेक्टर 9, फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा	नई शाखा	1200–1400 वर्ग फीट
2.	सेक्टर 6, फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा	नई शाखा	1200–1400 वर्ग फीट
3.	झज्जर चुंगी,रोहतक	रोहतक	हरियाणा	नई शाखा	1000–1200 वर्ग फीट
4.	राजीव चौक, रोहतक	रोहतक	हरियाणा	नई शाखा	1000–1200 वर्ग फीट
5.	रोहतक रोड, सोनीपत	सोनीपत	हरियाणा	नई शाखा	1000–1200 वर्ग फीट
6.	पिन कोड 122011 के तहत सेक्टर 24–25 गुरुग्राम और आसपास का क्षेत्र	गुरूग्राम	हरियाणा	नई शाखा	1200–1400 वर्ग फीट
7.	सोहना रोड, गुरुग्राम	गुरूग्राम	हरियाणा	वर्तमान शाखा की शिफ्टिंग	1200–1400 वर्ग फीट
8.	गरौली – सेक्टर 37, गुरुग्राम और आसपास का क्षेत्र	गुरूग्राम	हरियाणा	वर्तमान शाखा की शिफ्टिंग	1200–1400 वर्ग फीट

परिसर किसी अनुमोदित भवन में होना चाहिए जो व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। व्यावसायिक उपयोग के लिए, यदि आवश्यक हो, तो स्वामी संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा। परिसर पर स्वामित्व रखने वाले इच्छुक स्वामी, निर्धारित प्रारूप में दो बोली प्रणाली, अर्थात तकनीकी बोली और व्यावसायिक बोली, में दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में अपने सीलबंद प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। बोली का प्रारूप हमारी वेबसाइट **www.bankofmaharashtra.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

संपत्ति पर स्पष्ट स्वामित्व रखने वाले इच्छुक स्वामी, 03.11.2025 **को शाम 5:00 बजे तक** दो बोली प्रणाली में अपने सीलबंद प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अपूर्ण विवरण/सूचना वाले और अंतिम तिथि व समय के बाद प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मालिकों के अलावा अन्य से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। दलालों के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर जमा करें: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुरुग्राम अंचल कार्यालय, भूतल, इरकॉन इंटरनेशनल टावर 1, प्लॉट संख्या 16 बी, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002

अंचल प्रबंधक
दिनांकः 28.10.2025 **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुरुग्राम अंचल**

---

pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
हरिद्वार शाखाः प्रथम तल, आर्य नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407 (उत्तराखंड)। **गाजियाबाद शाखाः** प्लॉट नंबर 11 यूजी–1, आईएनएस/11 एसजी अल्फा टॉवर, सेक्टर–9 वसुंधरा गाजियाबाद –201012

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **''जैसी है जहां है'', जैसी है जो है''** तथा **''जो भी है वहां है''** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/HWR/0219/647244, बी.ओ.: हरिद्वार, आशुतोष धारीवाल, मोनिका	15.01.2025 तक रु. 11,49,205.04	भौतिक कब्जा	खसरा संख्या 419/2/5 का हिस्सा वाली समस्त संपत्ति, ग्राम ढंडेरा में स्थित, क्षेत्रफल 1375 वर्ग फीट, परगना और तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, रुड़की, उत्तराखंड–247667, सीमाबद्धः उत्तरः दूसरों की संपत्ति, भुजा 25 फीट। दक्षिणः 16 फीट चौड़ी सड़क, भुजा 25 फीट। पूर्वः अनवर खान का प्लॉट, भुजा 55 फीट। पश्चिमः अनवर खान की संपत्ति, भुजा 55 फीट।	रु. 1796000	रु. 179600	28.11.2025	रु. 10,000	17.11.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	29.11.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/GHA/0718/553015, बी.ओ.: गाजियाबाद, शैलेश कुमार, रितिका सिंह	15.01.2025 तक रु. 20,11,495.21	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर 295, डीडीए लिग, जय अंबे अपार्टमेंट, न्यू कोंडली, मयूर विहार फेज–3, नई दिल्ली–110096, भारत।	रु. 2341000	रु. 234100	28.11.2025	रु. 10,000	17.11.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	29.11.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सं) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **मुकेश विश्नोई, सतीश चंद्र, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : दिल्ली एनसीआर, दिनांक : 28.10.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

प्रपत्र सं. 3 [विनियम 13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

प्रकरण सं. : ओए/332/2025 एक्स. नं.: 27958
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड विरुद्ध श्री चिंटू लोहिया एनए

प्रति, (1) श्री चिंटू लोहिया एनए डी/डब्ल्यू/एस/ओ– मैक्समन लोहिया श्री चिंटू लोहिया पुत्र श्री लक्ष्मण लोहिया निवासी मकान सं. 2062, गाजीपुर रोड, डाबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा– 121001
(2) नीरज कुमार पुत्र कन्नी राम, मकान सं. 226 ग्राम बनकारी फरीदाबाद, हरियाणा– 121001

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, **ओए/332/2025, दिनांक 01/10/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 33,21,305.01/–** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :– (1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए; (2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना; (3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है; (4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और/या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे; (5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 17–11–2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा। आज दिनांक : 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

डीआरटी–।।, चंडीगढ़, न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

फॉर्म संख्या 3 [विनियमन–13 (1) (ए) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन।

मामला संख्याः ओए/181/2025 **प्रदर्श संख्याः 28138**
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम श्री अविनाश शाह पुत्र श्री शिवनाथ शाह

सेवा में, 1) प्रतिवादी नं. 1 – श्री अविनाश शाह (कर्जदार) पुत्र श्री शिवनाथ शाह निवासी मकान नंबर 150, पहली मंजिल, सेक्टर 9, गुड़गांव हरियाणा–122001 और श्री अविनाश शाह पुत्र श्री शिवनाथ शाह, निवासी मकान नंबर 568, पहली मंजिल, सेक्टर 99, गुरुग्राम हरियाणा –122001

समन

चूंकि, **ओए/181/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **15/10/2025** को सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण ने आपके खिलाफ रु.3401905.16/– के ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) के तहत दायर उक्त आवेदन (ओए) पर समन/नोटिस जारी करने में प्रसन्न है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः (i) समन की सेवा के तीस दिनों के भीतर कारण बताएं कि की गई प्रार्थना पर राहत क्यों न दी जाएय (ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा करनाय (iii) संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों के साथ व्यवहार करने या उनका निपटान करने से रोका जाता हैय (iv) आप ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति के बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट या प्रकट की गई किसी भी संपत्ति, जिस पर सुरक्षा हित सृजित किया गया है और/या अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को, अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से हस्तांतरित नहीं करेंगे, (v) आप सामान्य व्यवसाय के क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री आय को ऐसी संपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ बनाए गए खाते में जमा करेंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने तथा उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया जाता है तथा **11.12.2025** को **प्रातः 10.30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी तथा निर्णय लिया जाएगा।

इस दिनांक 16.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायाधिकरण की मुहर के साथ दिया गया।

डीआरटी II, चंडीगढ़, समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या आरएससी–4
[नियम 3(3) के अनुसार]
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण पीठ,
नई दिल्ली के समक्ष,
कंपनी आवेदन सं. सीपी–139/एनडी/2025
कंपनी नाम
मेधा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड –
आवेदक/याचिकाकर्ता/कंपनी
सूचना का प्रकाशन

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपरोक्त कंपनी की शेयर पूंजी को रु. 3,38,87,370/– (रु. तीन करोड़ अडतीस लाख सत्तासी हजार तीन सौ सत्तर मात्र) से घटाकर रु. 2,94,99,290/– (रु. दो करोड़ चौरान्वे लाख निन्यान्वे हजार दो सौ नब्बे मात्र) करने की पुष्टि के लिए 28 अगस्त, 2025 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (पीठ) में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

प्रत्येक लेनदार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कंपनी द्वारा 31 जुलाई, 2025 को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और यूनिट सं. 236बी एवं 236सी, प्रथम तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, दिल्ली, भारत–110017 पर सोमवार से शुक्रवार (वे दिन जब निरीक्षण उपलब्ध होगा) के बीच सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी भी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूची में दिए गए विवरण पर कोई आपत्ति है तो उसे (समर्थक दस्तावेजों के साथ) तथा उसके नाम और पते और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के नाम और पते, यदि कोई हो, के विवरण के साथ इस नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता यूनिट सं. 236बी और 236सी, प्रथम तल डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, दिल्ली, भारत–110017 को भेजा जा सकता है। यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाहियों में, लेनदारों की सूची में प्रविष्टियों को सही माना जाएगा।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 दिसंबर 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, जिस दिन न्यायाधिकरण आवेदन पर सुनवाई करेगा। यदि कोई लेनदार सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है, तो उसे अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ अनुरोध करना चाहिए।

कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि
कृते मेधा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
सिद्धार्थ जैन (निदेशक)
डीनः 10651017
पताः यूनिट संख्या 236बी और 236सी, प्रथम तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, दिल्ली, भारत–110017

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालय 1: कार्यालय नं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट-1, सेक्टर-25, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ई-मेल : auction@hindujahousingfinance.com

आरएलएम - हसमुद्दीन रजा 8468898202 • सीएलएम - अंशिका राणा 8755056111
आरआरएम - हरीश यादव 7060411785 • सीआरएम - जयदीप भट्ट- 8909629007

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका **कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में है और इसका एक शाखा कार्यालय 1: कार्यालय नं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट-1, सेक्टर-25, रोहिणी, नई दिल्ली**-110085 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है'** और **'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि : 10.11.2025-11.11.2025, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 13.11.2025, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय : 15.11.2025, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	ऋण खाता संख्याः **UT/UTK/DHON/A000000942** और **DL/RUK/ROKE/A000000270** 1. श्री आकाश ओम प्रकाश (कर्जदार) 2. श्रीमती छाया (सह-कर्जदार)	24.06.2024 तथा रु. 26,20,242/- रु. 26,20,242/- तिथि 10.06.2024	23.06.2025 भौतिक कब्जा	रु. 21,31,920/- रु. 2,13,100/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः भूमि पर निर्मित एक मकान, पूर्व में 21 फीट 2 इंच, पश्चिम में 21 फीट 2 इंच, उत्तर में 43 फीट 11 इंच, दक्षिण में 44 फीट, कुल क्षेत्रफल 930.415 वर्ग फीट या 86.469 वर्ग मीटर, आच्छादित क्षेत्र 1184.407 वर्ग फीट, खसरा संख्या 1407/1 मिन के भाग से संबंधित, ग्राम पाडली गुज्जर (नगर पंचायत पाडली गुज्जर की सीमा के भीतर) परगना और तहसील और जिला हरिद्वार- 247670 में स्थित है। सीमाएँः दिशा/सीमाएँ 1. पूर्व दिशा 10 फीट चौड़ी, 2. पश्चिम दिशा - अज्ञात का प्लॉट, 3. उत्तर दिशा - जुबैर आलम का प्लॉट, 4. दक्षिण दिशा - राकेश शर्मा का प्लॉट			
2.	ऋण खाता संख्याः **DL/SHR/SHRP/A000000391** 1. श्री अश्वनी कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती सपना अश्वनी कुमार (सह-कर्जदार)	30.07.2024 तथा रु. 18,46,486/- रु. 18,46,486/- तिथि 12.07.2024	23.06.2025 भौतिक कब्जा	रु. 20,83,000/- रु. 2,08,300/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय प्लॉट, जिसका कुल क्षेत्रफल 735.08 वर्ग फीट या 68.37 वर्ग मीटर है, जिसका पूर्व में माप 24 फीट 10 इंच, पश्चिम में 24 फीट 7 इंच, उत्तर में 29 फीट 9 इंच, दक्षिण में 29 फीट 9 इंच है, जो खसरा संख्या-269/2 मिन के भाग से संबंधित है, ग्राम-शिमली, वार्ड संख्या-3, मोहल्ला- शिवपुरी नगर पालिका परिषद लक्सर परगना-मंगलौर तहसील-लक्सर, जिला हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित। सीमाएंः दिशा/ सीमाएंः 1. पूर्व-अनिल का प्लॉट, 2. पश्चिम-बबली का प्लॉट, 3. उत्तर-20 फीट चौड़ा रास्ता, 4. दक्षिण-बाबूराम का प्लॉट।			
3.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROKE/A000000233** 1. श्री नीतीश कुमार शांडिल्य (कर्जदार) 2. श्री प्रीति शर्मा (सह-कर्जदार) 3. श्री आनंद नकली (सह-कर्जदार)	24.06.2024 तथा रु. 17,67,065/- रु. 17,67,065/- तिथि 10.06.2024	16.04.2025 भौतिक कब्जा	रु. 12,31,200/- रु. 1,23,120/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः भूमि के प्लॉट पर निर्मित एक घर, पूर्व में 15 फीट, पश्चिम में 15 फीट, उत्तर में 34 फीट और दक्षिण में 34 फीट कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग फीट या 47.39 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 1522 के भाग से संबंधित, मोहल्ला कृष्णा नगर गली नंबर 12 ग्राम सलेमपुर राजपुतान (नगर निगम रुड़की की सीमा के भीतर) परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार- 247667 में स्थित। सीमाएँः दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व मार्ग 15 फीट चौड़ा 2. पश्चिम में आदेश का मकान, 3. उत्तर में कपिल पाल की संपत्ति, 4. दक्षिण में मोहित कुमार का मकान।			
4.	ऋण खाता संख्याः **DL/SHR/SHRP/A000000359** 1. श्री पप्पू कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती विनीता वी (सह-कर्जदार)	24.06.2024 तथा रु. 21,28,850/- रु. 21,28,850/- तिथि 10.06.2024	17.04.2025 भौतिक कब्जा	रु. 17,38,800/- रु. 1,73,880/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय मकान, दो मंजिला, दक्षिणमुखी, कुल क्षेत्रफल 570 वर्ग फीट या 52.97 वर्ग मीटर, पूर्व में - 28 फीट 6 इंच, पश्चिम में - 28 फीट 6 इंच, उत्तर में - 20 फीट, दक्षिण में - 20 फीट, खसरा संख्या - 42 मिन, मोहल्ला-शिवपुरम, मौजा-रहीमपुर (अंदर हदूद सीता नगर, नगर निगम रुड़की) परगना-भगवानपुर, तहसील-रुड़की, जिला हरिद्वार- 247667 में स्थित, सीमाएँः दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व में-नरदेव सिंह का मकान 2. पश्चिम में-नवीन कुमार धीमान का शेष खाली प्लॉट 3. उत्तर में-श्रीमती मिथलेश का मकान 4. दक्षिण में-15 फीट चौड़ा रास्ता			
5.	ऋण खाता संख्याः **UT/UTK/DHON/A000000661** 1. श्री वरुण राणा पुत्र श्री विक्रम (कर्जदार) 2. श्रीमती सुदेश देवी पत्नी श्री विक्रम (सह-कर्जदार)	30.11.2022 तथा रु. 22,52.016/- रु. 22,52,016/- तिथि 22.11.2022	05.07.2025 भौतिक कब्जा	रु. 15,75,000/- रु. 1,57,500/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक मकान संख्या पुराना 207 और वर्तमान संख्या 330, पूर्व में 19 फीट, पश्चिम में 19 फीट, उत्तर में 35 फीट, दक्षिण में 35 फीट, कुल क्षेत्रफल 665 वर्ग फीट या 61.80 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 1116 के भाग से संबंधित, 207 माता वाला बाग मोहल्ला पुरानी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित, दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व में रामटेक शर्मा का मकान 2. पश्चिम में 7 फीट चौड़ा रास्ता, 3. उत्तर में अज्ञात का मकान, 4. दक्षिण में विजय अरोड़ा का मकान।			
6.	लैन नंबरः **UT/UTK/DHON/A000001154** 1. श्री शहजाद पुत्र- श्री इरशाद (कर्जदार) 2. श्रीमती शाहराज पत्नी श्री शहजाद (सह-कर्जदार)	03.10.2023 तथा रु. 29,90,527/- रु. 29,90,527/- तिथि 19.09.2023	10.09.2025 भौतिक कब्जा	रु. 20,81,700/- रु. 2,08,170/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या 110 के भाग पर मकान सहित निर्मित आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 832.50 वर्ग फीट अर्थात 77.37 वर्ग मीटर है, जो पुराने खसरा संख्या 142/3 और नए खसरा संख्या 142/7 से संबंधित है, शिव गंगा विहार कॉलोनी, ग्राम दादूपुर गोविंदपुर, परगना रुड़की तहसील एवं जिला हरिद्वार में नगर निगम हरिद्वार की सीमा के बाहर स्थित है। सीमाएँः दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व में अन्य व्यक्ति की 18 फीट भूमि, 2. पश्चिम में - 18 फीट रास्ता 20 फीट चौड़ा, 3. उत्तर में - 46.25 फीट प्लॉट संख्या 124, 4. दक्षिण में - 46.25 फीट प्लॉट संख्या 110 का हिस्सा			
7.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROCA/A000000046** 1. श्री राहुल कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती सोनिया राहुल (सह-कर्जदार)	30.07.2024 तथा रु. 7,19,570/- रु. 7,19,570/- तिथि 18.07.2024	26.08.2025 भौतिक कब्जा	रु. 7,07,400/- रु. 70,740/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक भूखंड, निजी भूखंड संख्या 7 और ब्लॉक ए, पूर्व में 52 फीट 11 इंच पश्चिम में 52 फीट उत्तर में 20 फीट दक्षिण में 20 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल 1049.166 वर्ग फीट या 97.506 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 547 के हिस्से से संबंधित है, ग्राम लिब्बरहेड़ी परगना मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएंः दिशा/ सीमाएंः 1. पूर्व में रास्ता 20 फीट चौड़ा, 2. पश्चिम में-विक्रेता की भूमि से, उत्तर में-निजी प्लॉट नं. ए-8, 4. दक्षिण में- निजी प्लॉट संख्या ए-6			
8.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROCA/A000000041** 1. सुश्री बरखा बी (कर्जदार) 2. श्री रमेश (सह-कर्जदार)	30.07.2024 तथा रु. 5,30,307/- रु. 5,30,307/- तिथि 14.07.2024	26.08.2025 भौतिक कब्जा	रु. 5,58,000/- रु. 55,800/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक भूखंड, निजी प्लॉट संख्या 17 और ब्लॉक बी, पूर्व में 50 फीट, पश्चिम में 50 फीट, उत्तर में 16 फीट, दक्षिण में 16 फीट, कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट या 74.34 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 546 के भाग से संबंधित, ग्राम लिब्बरहेड़ी परगना मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएँः दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व-निजी प्लॉट संख्या बी-16, 2. पश्चिम - निजी प्लॉट संख्या बी-18, 3. उत्तर - निजी प्लॉट संख्या सी-7, 4. दक्षिण - 20 फीट चौड़ा रास्ता।			
9.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROKE/A000000380** 1. श्री रसबिन राकेश (कर्जदार) 2. श्रीमती सीमा रसबिन (सह-कर्जदार)	17.09.2024 तथा रु. 6,51,062/- रु. 6,51,062/- तिथि 17.09.2024	25.08.2025 भौतिक कब्जा	रु. 6,33,420/- रु. 63,342/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक भूखंड, निजी प्लॉट संख्या 24 और 23 का भाग, पूर्व में 27.6 फीट, पश्चिम में 27.6 फीट, उत्तर में 30 फीट, दक्षिण में 30 फीट, कुल क्षेत्रफल 828 वर्ग फीट या 76.95 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 440 के भाग से संबंधित, शाकुंभरी विहार कॉलोनी, बड़ा मदरसा के पास, रायपुर परगना और तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएँः दिशा/सीमाएँः 1. पूर्व : अंकित का प्लॉट 2. पश्चिम : सेटो का प्लॉट 3. उत्तर : 18 फीट चौड़ा रास्ता, 4. दक्षिण : योगेश की भूमि			
10.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROKE/A000000073** 1. श्री सचिन कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती टीना सचिन (सह-कर्जदार)	24.06.2024 तथा रु. 13,08,387/- रु. 13,08,387/- तिथि 28.05.2024	20.09.2025 भौतिक कब्जा	रु. 13,10,400/- रु. 1,31,040/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 211मी के भाग से संबंधित भूमि के प्लॉट पर निर्मित एक मकान, पूर्व में 12 फीट, पश्चिम में 12 फीट, उत्तर में 42 फीट और दक्षिण में 42 फीट, कुल क्षेत्रफल 504 वर्ग फीट या 46.84 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 800 वर्ग फीट, ग्राम शाहपुर साल्हापुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार- 247667 में स्थित है। सीमाएंः दिशा/ सीमाएंः 1. पूर्व-सरकारी नाली 1 मीटर चौड़ी, 2. पश्चिम की ओर-16 फीट चौड़ा रास्ता 3. उत्तर में-श्रीमती सुधा मंडोलो का प्लॉट 4. दक्षिण में-श्रीमती प्रियंका की शेष संपत्ति			
11.	ऋण खाता संख्याः **DL/RUK/ROKE/A000000489** 1. श्री प्रवीण कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती नीलम सिंह (सह-कर्जदार)	29.11.2024 तथा रु. 21,27,083/- रु. 21,27,083/- तिथि 29.11.2024	20.09.2025 भौतिक कब्जा	रु. 21,40,200/- रु. 2,14,020/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः भूखंड पर एक निर्मित मकान, जिसका पूर्व में 25 फीट, पश्चिम में 25 फीट, उत्तर में 26 फीट और दक्षिण में 16.67 फीट का क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल 533.375 वर्ग फीट या 49.57 वर्ग मीटर और आच्छादित क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट या 102.230 वर्ग मीटर है। खसरा संख्या 153 मिन के भाग से संबंधित, ग्राम गणेशपुर बहार हदूद (वर्तमान में नगर निगम रुड़की की सीमा के भीतर) परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएंः दिशा/ सीमाएंः 1 पूर्वः-15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः-सरहद गांव रहीमपुर, उत्तरः-विक्रेता की संपत्ति, दक्षिणः-श्रीमती सुशीला बिष्ट का प्लॉट			

भुगतान का तरीकाः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में उत्तराखण्ड में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः- 1. संपत्ति **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है'** और **'आश्रय रहित'** आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल **auction@hindujahousingfinance.com** और **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से **'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'** के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 605ए, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा**-122003, (**संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर** 7080804466, **ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नंबरः-** 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com/** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप **auction@hindujahousingfinance.com** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय संख्या-द्वितीय तल, ए.के. टावर, 56, सुभाष रोड, देहरादून** 248001 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। 11. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 12. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 13. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 14. ई-नीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उसकी मेल आईडी **parmod.chand@hindujahousingfinance.com** और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा लगाई गई बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 15. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 16. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 17. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 18. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 19. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 20. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 21. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 22. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 23. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 24. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 25. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, **सुश्री अंशिका राणा - 8755056111 से, शाखा कार्यालय, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय संख्या- द्वितीय तल, ए.के. टावर, 56, सुभाष रोड, देहरादून** 248001 पर संपर्क करें। 26. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 28.10.2025, स्थानः उत्तराखण्ड **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)